For office use only

		Payment detail						
Eligible balance in Account	₹							
Less Penalty amount ₹								
Total Amount to be paid ₹.	·	(In f	igures)					
(In words)								
Date Stamp		Signature of Postmaster/M	lanager					
	(to be filled	Acquittance by account holder/ messen	nger)					
			words) By cash/cheque/DD bearing					
No.)		•						
Date: Place:		Signature/thumb impres	sion of account holder/guardian					

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 916(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873, (1873 का 5) की धारा 3क और धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता धारक" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम में खाता अभिनिर्धारित है;
- (ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (च) "वर्ष" से खाता में निक्षेप की तारीख से प्रारंभ होने वाले बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं वे अर्थ होंगे जो इस अधिनियम और साधारण नियमों में उनके हैं।
- 3. खाता खोलना- (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करते हुए लेखा कार्यालय में प्ररूप-1 में आवेदन करके खाता खोल सकेगा, अर्थात्:-
 - (i) जिन्होंने खाता खोलने की तारीख को साठ वर्ष की आयु प्राप्त की है;
- (ii) जिन्होंने पचपन वर्ष या उससे अधिक किंतु साठ वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है और जो इस स्कीम के अधीन खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता या अन्यथा की तारीख को सेवानिवृत्त हो गया है इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सेवानवृत्ति फायदे की तारीख के एक मास के भीतर ऐसे व्यष्टि जिसके द्वारा खाता खुलवाया गया है और अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्त होने, नियोजन होने के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए नियोजक का एक प्रमाणपत्र के साथ-साथ ऐसे सेवानिवृत्ति फायदा (फायदे) के वितरण का सब्त और नियोजक के पास ऐसे नियोजन की अवधि आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न है :

परंतु रक्षा सेवा (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) के सेवानिवृत्त कार्मिक अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए पात्र होंगे।

- (2) सेवारत मृत कार्मिक के उत्तराधिकारी या विधिक वारिस इस स्कीम के अधीन ऐसे मृत कार्मिक के सेवांत प्रसुविधा निक्षेप करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (3) खाता धारक एक साथ सभी खाता में निक्षेप पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अनधिक नहीं होगा, के अधीन रहते हुए इस स्कीम के अधीन एक से अधिक खाता खुलवा सकेगा ।
 - (4) व्यष्टिक हैसियत या पति-पत्नी संयुक्त रूप से खाता खोल सकेंगे।
- (5) संयुक्त खाता की दशा में प्रथम खाता धारक की आयु जहां खाता खुलवाने के लिए पात्रता अवधारित करने पर विचार किया जाएगा वहां द्वितीय आवेदक के लिए आयुसीमा नहीं होगी ।
 - (6) संयुक्त खाता निक्षेप करने की संपूर्ण रकम केवल प्रथम खाता धारक से निक्षेप किया गया जाएगा।
- (7) पति-पत्नी दोनों एकल खाता और संयुक्त खाते में से प्रत्येक खाते में से पन्द्रह लाख रुपए तक अधिकतम एक दूसरे के खाते में निक्षेप कर सकेंगे परंतु दोनों खाता खोलने के लिए व्यक्तिगत रूप से पात्र हों।
- 4. निक्षेप- (1) एक हजार रुपए या पांच लाख रुपए से अन्यून एक हजार रुपए के बहुगणक कोई राशि न्यूनतम निक्षेप के साथ खाता खोला जाएगा :

परंतु पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट खाते में जमा राशियां प्राप्त सेवानिवृत्ति फायदे या पंद्रह लाख रुपए, जो भी इनमें से निम्नतर हो, निर्बन्धित होगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्ति फायदे" से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के कारण खाता धारक के मद्दे कोई संदाय अभिप्रेत है और जिसमें भविष्य निधि देय, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता उपदान, पेंशन का संराशित मूल्य, कुटुंब पेंशन स्कीम और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह पूर्वक संदाय के अधीन सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति-सहनिकासी प्रसुविधा पर नियोजक द्वारा संदेय समूह व्यावृत्ति लिंक इंश्योरेंस स्कीम के कर्मचारी व्यावृत्ति तत्व भी सम्मिलित है।

- (2) खाते में केवल एक कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह पूर्वक संदाय के अधीन सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्त-सह-निकासी प्रसुविधा पर नियोजक द्वारा संदाय समूह व्यावृत्ति लिंक इंश्योरेंस स्कीम के ही निक्षेप हो।
- (3) उपपैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से आधिक्य राशि निक्षेप लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे तत्काल रूप से खाता धारक को आधिक्य राशि वापस करेगा।
 - 5. निक्षेप पर ब्याज- (1) इस स्कीम के अधीन किए गए निक्षेप पर 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलेगा।
- (2) ब्याज प्रथम किस्त में, यथास्थिति, अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के प्रथम कार्यदिवस को 31 मार्च/30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर से निक्षेप करने की तारीख से संदेय होगा और तत्पश्चात् ब्याज, यथास्थिति, अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के प्रथम कार्यदिवस को संदेय होगा।
- (3) यदि खाता धारक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उपपैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट शेष तारीखों पर संदेय ब्याज, लेखा धारक व्यावृत्ति खाता से जमा होगा ।
- (4) यदि किसी खाता धारक द्वारा प्रत्येक तिमाही में संदेय ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा तो ऐसा ब्याज अर्जित अतिरिक्त ब्याज नहीं होगा।
- (5) रुपए का भाग में ब्याज की कोई रकम न्यूनतम रुपए का गुणक होगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की कोई रकम एक रुपए माना जाएगा और पचास पैसे में अनधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।
- (6) पैरा 4 के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट आधिक्य रकम डाक घर व्यावृत्ति रकम के समय-समय पर लागू ब्याज वहन करेगा और ऐसे और ऐसे ब्याज वापसी की तारीख से आधिक्य रकम के निक्षेप की तारीख से संदेय होगा ।
- (7) पैरा 8 के उपपैरा (1) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् विस्तारित रकम के मामले में, ऐसे खाता में निक्षेप परिपक्वता की तारीख को स्कीम से लागू दर पर अर्जित ब्याज होगा ।

- (8) डाकघर बचत खाता को लागू दर पर ब्याज उस खाता पर निक्षेप को संदेय होगा जो पैरा 8 के या परिपक्वता को बंद या विस्तारित परिपक्वता के अनुसार विस्तारित नहीं है।
- (9) तिमाही से अन्यून किसी अवधि के लिए ब्याज (स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट) को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा।

दिनों की संख्या अवधि में x तिमाही के लिए ब्याज

तिमाही के दिनों की कुल संख्या

- (10) यदि ब्याज का नियत तारीख को दावा नहीं किया गया है तो नियत तारीख के पश्चात् किसी भी तारीख को दावा करा सकता है।
- 6. खाता को समयपूर्व बंद करना- (1) खाता धारक निक्षेप को वापस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्ररूप-2 के आवेदन पर किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा, अर्थातु:-
- (i) यदि, खाता खोलने की तारीख के पश्चात् एक वर्ष पहले बंद करा देता है तो खाता में निक्षेप पर संदत्त व्याज निक्षेप से वसूल कर लिया जाएगा और अतिशेष खाता धारक को संदाय कर दिया जाएगा ।
- (ii) यदि, खाता एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बंद करा देता है किंतु उसके खोलन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले बंद करा देता है तो निक्षेप के डेढ़ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगी और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा।
- (iii) यदि, खाता उसके खोलने की तारख से दो वर्ष की समाप्ति को या उसके पश्चात् बंद करा देता है तो निक्षेप के एक प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगा और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा ।
- (2) पैरा 8 के उपपैरा (1) के अधीन खाता विस्तार करने की सुविधा का उपभोग करने वाला खाता धारक किसी कटौती के बना खाता विस्तार करने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी तारीख को निक्षेप वापस ले सकेगा और खाता बंद करा सकेगा।
- (3) यदि, समयपूर्व बंद कराने, निक्षेप पर ब्याज उपपैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के कटौती के पश्चात् समयपूर्व बंद कराने की पूर्ववर्ती तारीख तक संदाय किया जाएगा ।
 - (4) खाता से बहुगुणित वापस लेना अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 7. खाता बंद कराना- (1) खाता खोलने के समय किया गया निक्षेप प्ररूप-3 में आवेदन पर खाता खुलवाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति को या उसके पश्चात् या आठ वर्ष की समाप्ति को संदाय किया जाएगा जहां खाता पैरा 8 के अधीन विस्तार किया गया था।
- (2) परिपक्वता या विस्तारित परिपक्वता से पहले खाता धारक की मृत्यु की दशा में खाता धारक की मृत्यु की तारीख तक, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वापिस से इस स्कीम से यथा लागू ब्याज के साथ प्ररूप-3 में आवेदन पर बंद कराएगा और निक्षेप का प्रतिदाय होगा:

यह कि परंतु खाता में निक्षेप पर ब्याज खाता के अंतिम रूप से बंद करने की तारीख तक खाता धारक की मृत्यु की तारीख से डाकघर बचत खाता पर लागू दर पर अर्जित ब्याज होगा :

परंतु यह और कि संयुक्त खाता की दशा में या जहां पित-पत्नी एकमात्र एक दूसरे के नामिनर्देशिती हैं वहां पित-पत्नी इस स्कीम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर खाता निरंतर रख सकेंगे, यदि खाता धारक की मृत्यु की तारीख को स्कीम के अधीन पित-पत्नी पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

- (3) जहां इस स्कीम के अधीन पित-पत्नी दोनों ने अलग-अलग खाता या खाते खुलवाएं हों और दोनों में से किसी की ऐसे खाता या खातों के प्रचलन के दौरान मृत्यु हो जाती है तब मृतक खाता धारक के नाम में प्रचलित खाता या खाते उपपैरा (2) के प्रथम परंतुक के अनुसार निरंतर नहीं रहेगी और उसे बंद कर दिया जाएगा।
- 8. परिपक्वता के पश्चात् विस्तारण- (1) खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्ररूप-4 में आवेदन करके तीन वर्ष की और अवधि के लिए खाता का विस्तारण करा सकेगा।
- (2) उपपैरा (1) के अधीन खाता का विस्तारण आवेदन की तारीख पर विचार किए बिना परिपक्वता की तारीख से किया गया समझा जाएगा।
 - (3) उपपैरा (1) के अधीन खाता का विस्तारण एक बार उपलब्ध होगा।

- (4) खाता धारक पैरा 6 के उपपैरा (1) के अधीन किसी कटौती के बिना खाता के विस्तारण की तारीख से एक वर्ष की अविध के पश्चात् खाता बंद करा सकेगा।
- 9. साधारण नियमों का लागू होना- साधारण नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे मामले के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किया गया है।
- 10. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि खाता धारक के असम्यक् कष्ट के कारण इस स्कीम में किसी उपबंध का प्रचालन उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से असंगत रीति में उस उपबंध की अपेक्षाएं शिथिल की जा सकेंगी।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप - 1 [पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखेंं] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

	(41)	,, 4,4, , 6,4,5
सेवा में		
पोस्टमा	स्टरप्रबंधक/	आवेदक/आवेदकों
		चिपकाएं
श्रीमान,		
5. .		
	म(आवदक लने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।	/आवेदकों) आपके डाकघर/बैंक में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन
		रपये) नकद/चैक/डीडी शन करता हूं/करते हैं । मेरे/हमारी विशिष्टियां निम्नप्रकार हैं:-
1. प्रथम	न जमाकर्ता का नाम	
पतिः	/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त	त संरक्षक का नाम
जन्म	तारीख	
		(तारीख / मास/वर्ष)
		(शब्दों में)
2. द्वती	य खाताधारक (केवल पति-पत्नी के लिए	τ
पति	/पिता/माता का नाम	
जन्म	तारीख	
		(तारीख/ मास/वर्ष)
		(शब्दों में)
3.	आधार संख्या	(क) प्रथम खाताधारक का
		(ख) द्वितीय खाता धारक

4.	स्थाया खा	ता सख्या		(क) प्रथम खा	ताधारक का				
				(ख) द्वितीय ख	ग्राता धारक				
5 a	र्नमान पता								
ઝ . વહ	ामाग पता								
	0								
£	थायी पता								
6. संग	नर्क ब्यौर े		दूरभाष संख्या						
				ल नं					
			ई-मेल	आई डी					
7. ख	ाते का प्रकार		एकल या संयुक्त	या अवयस्क					
8. ख	ाता धारक/खाता धारकों	के जन्म की तारीख	Г						
9	. संलग्न अन्य केवाइसी द	स्तावेजों के ब्यौरे							
क	. पहचान का सबूत								
	. जारी करने की तारीख								
	. जारी करने वाला प्राधि								
2. चालन	ौर पते के सबूत के प्रयोज अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पह ासंख्या रजिस्टर द्वारा ना	ह्चान पत्र 4. राज्य	सरकार के अधिक	ारी द्वारा हस्ताक्षरि					
1. नमूना ह	इस्ताक्षर								
• • •		2		,					
	(नाम)								
(नाम)				•					
	प्रणा करता/करती हूं कि जे लेखा अधिकारी को सू				हमारे निवास/ना	गरिकता में किसी			
			•		· 	2 3 + + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +			
-	मैं/हम स्कीम के उपबंधों और सरकारी वचत संवर्धन नियम, 2018 द्वारा उसके समय-समय पर जारी स्कीम और संशोधनों को लागू होने का पालन करने का वचन देता/देती/देते हैं।								
• • •	धीन मेरे/हमारे अन्य खा	`	ਸਾ ਤ ਤੈਂ:						
	स्कीम का नाम		तार ह. निक्षेपित रकम		THE STATE OF THE S	T			
क्र.सं.	स्काम का गाम	खाता खुलवाने की तारीख	ानकापत रकम	ग्राहक पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघर/बैंक का नाम			
1.	वरिष्ठ नागरिक बचत			., ,,					
1.	सकीम								
	(एससीएसएस)								
						1			

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख:.....

10. मैं/हम		नीचे दिए गए	व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशन	करता हूं/करते हैं
जिन्हें मेरी/हमारी मृत्यु की व	<mark>स्शा में सभी अन्य व्यक्ति</mark>	यों को निष्पादन	ा करते हुए		(स्कीम का
नाम) में मेरी मृत्यु के समय ज	मा की गई रकम संदेय हो	गी ।			

क्रम सं.	नामनिर्देशिती(नामनिर्देशितियों) का(के) नाम और संबंध	पूरा पता	नामनिर्देशिती का आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती की जन्म की तारीख	हिस्सा जिसके लिए हकदार होगा	हकदारी की प्रकृति न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

क्योंकि उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संका (के) नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं अ मैं/हमका (के) नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं अ	
म/हमपुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र	• •
को नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के अवयस्क रहने के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में उब	∤त
खाते के अधीन बकाया राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं ।	
1. साक्षी के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
2. साक्षी के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निश	ान
स्थान	
तारीखः	
डाकघर/बैंक के उपयोग के लिए	
रपये आरंभिक जमा के सा (स्कीम का नाम) के अधीन खाता संख्यातारीखतारीखद्वारा खाल खोला गया है । उपभोक्ता पहचान संख्या	ाथ ता
नामनिर्देशन, संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।	
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और म	द्रा

प्ररुप - 2

[पैरा 6 का उपपैरा (1) देखें] (समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सवा म	
डाकपाल	प्रबंधक
श्रीमान,	
1.	मैं/हम वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खोले गए मेरे/हमारे खाता संख्य जिसका अतिशेष (रुपये मात्र) हैं व
• • •	बंद कराना चाहता/चाहते हैं और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को घटाने के पश्चात् रकम का संदा गनुरोध करता/करते हैं :-
	नुपया(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्य में रकम जमा करें ।
	या
कृपया मां	ादेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें ।
	या
कृपया न	द संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)
परिपक्व	ोंने/हमने यह घोषणा करता/करते हूं कि वे शर्तें जिसके अधीन खाता वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधी ा से पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, का अनुपालन कर लिया गया है । अनिवार्य दस्तावेज निम्नानुसार संलग्नक हैं:
•	.
तारीख:	 खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(जमाकत	 के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)
	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
	संदाय के ब्यौरे
खाते में उ	पयुक्त अतिशेष
घटाई गई	शास्ति की रकम
संदत्त कि	ए जाने वाली कुल रकम `(अंकों में)
(शब्दों में	
तारीख म्	हाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण पत्र (खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए) _____ (अंकों में)_____ (शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ चैक/डीडी संख्या_____तारीख____ द्वारा खाता ____में अंतरित किए गए . तारीख: खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्ररुप - 3 [पैरा 7 का उप-पैरा (1) देखें] (खाते को बंद करने के लिए आवेदन) तारीख_____ डाकघर/बैंक का नाम खाता संख्या ___ मैं/हम पास बुक/जमा रसीद प्रस्तुत कर/रहा हूं/रहे हैं और मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित खाते को तारीख_____पर परिपक्व होने पर बंद करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। कृपया मेरे परिपक्व खाते में से उपयुक्त अतिशेष_____(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या ______ में रकम जमा करें । या कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें। या कृपया नगद संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है, लागू होगा) खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (निक्षेपक के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए) संदाय का आदेश (केवल कार्यालय उपयोग के लिए) तारीख संदाय के ब्यौरे मूल रकम रुपयों में (+)ब्याज रुपयों में _____ (-) अति संदत्त ब्याज की वसूली रूपयों में

कटौती, यदि कोई हों, रुपयों में

कुल बकाया रकम रुपयों में	
(अंकों में)	(शब्दों में) रुपये अदा करें
तारीख	
	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	निस्तारण पत्र
	(निक्षेपक द्वारा भरा जाए)
(अंकों में) चैक/डीडीसंख्यातारीख 	(शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ इ द्वारा खाता संख्या में अंतरित किए गए .
	तरीख खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप - 4
	[पैरा 8 का उपपैरा (1) देखें]
(खाते के विस्तारण के लिए आवेदन)
सेवा में,	
डाकपालप्रबंधक/	
श्रीमान,	
जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त खाता तारीख हो चुका है/हो जाएगा । हम उपरोक्त कथित	लय में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन खाता संख्याके को खोला गया था और संदाय के लिए तारीखको परिपक्व खाते की परिपक्वता की तारीख सेवर्ष(वर्षों) की और सार) खाते का विस्तारण का अनुरोध करता हूं/करते हैं।
2. मैंने/हमने समय-समय पर यथासंशोरि और शार्तों को समझ लिया है और मैं उसका प	धेत उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तारण के दौरान खाते पर लागू निबंधनों गलन करुंगा/करेंगे ।
स्थान:	
तारीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
	(नाम और पता)
	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
	(स्कीम का नाम) के अधीन तारीखको ा था और तारीख को परिपक्व द्वआ था का

नियम	के अधीन तारीख	से	तकवर्षों की
अवधि के लिए विस्तारण किया गया है।			
अभिलेखों और पासबुक और जमा	रसीद/खाते के विवरण मे	iं आवश्यक प्रविष्टियां	की जा चुकी है ।
तारीख:			डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
		मुद्रा	

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 916(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A and section 15 of the Government Savings Promotion Act,1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
- (a) "account" means an account opened under this Scheme;
- (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
- (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and the General Rules.
- **3. Opening of account.-** (1) An individual fulfilling the following conditions may open an account by making an application in Form-1 to the accounts office, namely:-
 - (i) who has attained the age of sixty years on the date of opening of the account; or
 - (ii) who has attained the age of fifty-five years or more but less than sixty years, and who has retired on superannuation or otherwise on the date of opening of an account under this Scheme, subject to the condition that the account is opened by such individual within one month of the date of receipt of the retirement benefits and proof of date of disbursal of such retirement benefit(s) along with a certificate from the employer indicating the details of retirement on superannuation or otherwise, retirement benefits, employment held and period of such employment with the employer, is attached with the application form:

Provided that the retired personnel of Defence Services (excluding Civilian Defence employees) shall be eligible to open an account under this Scheme on attaining the age of fifty years subject to the fulfilment of other specified conditions.

- (2) The successor or legal heir of a deceased serving personnel shall not be eligible to deposit the terminal benefits of such deceased personnel under this Scheme.
- (3) An account holder may operate more than one account under this Scheme subject to the condition that the deposits in all the accounts taken together shall not exceed the maximum limit as specified under paragraph 4.
- (4) An individual may open an account in individual capacity, or jointly with spouse.
- (5) In case of a joint account, the age of the first account holder shall be considered to determine the eligibility to open the account and there shall be no age-limit for the second applicant.